41

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका

अनुसूची 14 फॉरम सं० 5651
बोर्ड फॉरम सं० 508

(बोर्ड के आदेश सं० 4116वी ता० 12-8-11 में अनुमोदित)

(स्थायी रूप से रक्षणीय)

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण

(देखें नियम 127 अभिलेख हस्तक 1911)

.....विभाग

(पहला पन्ना)

केस नं० SRcase029 वर्ष 02-03 रजिस्टर सं० .....

इस्टेट ..... परगना ..... तौजी सं० .....

अर्जीकार - प्रतिपक्षी

अधिनियम ..... सं० ..... वर्ष .....के अधीन

निर्णय की तारीख ..... अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख .....

क्र० सं०	कागज का वर्णन	किस तारीख को फाइल किया गया	पन्नों की संख्या	स्टाम्पों का मूल्य	कागज की श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
						(10)

अनुसूची १४ फारम सं० - ५६३

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश ... के बारे में टि...
28.10.22 26.08.22	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 28.10.22 को रखें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता उमका।	
28.10.22	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 18.11.22 को रखें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।	
18.11.22	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 23.12.22 को रखें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।	
23.12.22	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 20.1.23 को रखें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।	

क्रम और	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष की वाद में काई अभिरूची नहीं है। फलस्वरूप वाद की कार्रवाई करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः उभयपक्ष की अभिरूची के अभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 20.1.2023 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका। 20.1.2023 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका।	

Digitally signed by BINAY MANISH R LAKRA
Date: 2023.03.04 12:06:57 +05:30
Location: 10.93.19.19